RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

59 वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, गुरूवार 07 दिसम्बर 2017 ■ वर्ष 59 ■ अंक 322 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ प्रधान संपादक - तुषार कांति बोस

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और क्यूबा के बीच करार

नयी दिल्ली 06 दिसम्बर (ए)। भारत और क्यूबा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के इरादे से आज यहां एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्री राबर्टो टामस मोरालेस ओजेडा ने क्यूबा से आए उच्चस्तरीय शिष्टमंडल और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री नड्डा ने भारत और क्यूबा के बीच रिश्तों के लंबे इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि यह संबंध समानता और न्याय के साझा मूल्यों, एक समान जनआकांक्षाओं और वैश्विक मुद्दों पर परस्पर हितों को एक साथ लाने पर आधारित है।

एनजीटी की फटकार के बाद जागी केजरी सरकार

ऑड-ईवन में अब किसी को नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर एक व्यापक कार्रवाई योजना दाखिल नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार की नींद जागी।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एनजीटी को अपना एक्शन प्लान बताया। साथ ही सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन के समय कोई छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल ऑड-ईवन फॉर्मूले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हर अखबार की हेडलाइन में था कि इस हफ्ते वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होने जा रहा। फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पीठ ने कहा कि 'आप दो पहिया वाहनों के लिए ऑड-ईवन में छूट चाहते हैं लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये 60 लाख वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह हैं।

आज का इतिहास

1782 हैदर अली की मौत हुई।
1825 पहला वाष्पचालित जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा
1815 नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरल में मदद के लिए फ्रांस के मार्शल नेय को मुकदमा चलाने के बाद गोली मार दी गई।
1856 किसी हिन्दू विधवा का पहला विवाह हुआ.

बहुत खूब

सस्ते कर्ज की उम्मीद को फिर लगा झटका

आरबीआई ने नहीं घटाई ब्याज दर

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। आरबीआई ने इस साल की अपनी आखिरी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों को यथावत (पहले की ही दर पर बरकरार) रखने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6 फीसद पर बरकरार रखा है। इससे पहले अक्टूबर में हुई बैठक में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। ऐसे में अब आपको सस्ते कर्ज के लिए एमपीसी की अगली बैठक का इंतजार करना होगा।

गौरतलब है कि एमपीसी के सभी सदस्यों (6) में से सिर्फ एक ने इस फैसले का विरोध किया। एमपीसी सदस्य रवींद्र ढोलकिया रेपो रेट में 0.25 फीसद कटौती के पक्ष में थे। आरबीआई ने रेपो रेट को 6 फीसद पर और रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसद पर बरकरार रखने का फैसला किया है। वहीं जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.75 फीसद पर बरकरार रखा गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई के 4.2 से 4.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई के इस फैसले के सामने आने के बाद बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है।

आरबीआई का कहना है कि ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिले हैं और 5 तिमाहियों बाद पहली बार जीवीए में सुधार दिखा है। आरबीआई ने कहा कि दूसरी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सुधरने से जीवीए में सुधार हुआ है। एमपीसी से सदस्यों ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि लिक्विडिटी में सुधार हो रहा है।

इस फैसले के पीछे आरबीआइ ने महंगाई को असली वजह बताई है। आरबीआइ गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई की दर के बढ़ने के आसार है। अक्टूबर, 2017 में थोक और खुदरा महंगाई की दर के बढ़ने के बाद से ही उम्मीद थी कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। सनद रहे कि महंगाई को थामने के लिए आरबीआइ ब्याज दरों का सहारा लेता है। ब्याज दरों को घटाने से लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं और इससे बाजार में मांग बढ़ती है जिसका असर महंगाई पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में ब्याज सस्ता होने पर महंगाई बढ़ती है। यही वजह है कि जब महंगाई बढ़ने के आसार होते हैं तो आरबीआइ ब्याज दरों को या तो बढ़ाता है या फिर उन्हें उसी स्तर पर बनाये रखता है।

आरबीआइ ने यह भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खुदरा महंगाई की दर उनके अनुमान से ज्यादा रहेगी। पहले महंगाई की दर के 4.3 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया था जिसे बढ़ा कर 4.7 फीसद कर दिया गया है। महंगाई के साथ ही आरबीआइ वैश्विक स्तर पर चल रही अस्थिरता और सरकार की राजकोषीय स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। जाहिर है कि आरबीआइ के इस फैसले से आम जनता के साथ ही उद्योग जगत और सरकार को भी निराशा हाथ लगेगी। आम जनता को निराशा इसलिए होगी कि होम लोन या आटो लोन के सस्ता होने की उम्मीद खत्म हो गई। सरकार यह सोच रही थी कि ब्याज दरों में कमी होने के बाद मांग बढ़ेगी जिससे देश की आर्थिक विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योग जगत भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि इससे मांग बढ़ाना संभव होता।

मौद्रिक नीति समिति में सरकार द्वारा नामित सदस्यों में चेतन घाटे, पामी दुआ, रवींद्र एच ढोलकिया शामिल हैं। वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से गवर्नर उर्जित पटेल, मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर विरल.ए. आचार्य और बैंक के कार्यकारी निदेशक मिशेल डी पात्रा इसके सदस्य हैं।

दलित से विवाह पर सरकारी मदद में आय की सीमा खत्म

मोदी सरकार का फैसला

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलितों से अंतरजातीय विवाह करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दलितों से शादी करने पर मिलने वाली आर्थिक मदद की राह में रोड़ा बन रही आय सीमा को खत्म करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर योजना के तहत दूल्हा या दुल्हन के दलित होने की स्थिति में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मौजूदा प्रावधान के तहत मदद हासिल करने के लिए आय की अधिकतम सीमा सालाना पांच लाख रुपये निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने इसे खत्म कर दिया है।

सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत वर्ष 2013 में अंबेडकर योजना शुरू की गई थी। इसके तहत एक साल में अंतरजातीय शादी करने वाले 500 दंपतियों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, पांच लाख रुपये की आय सीमा तय करने के कारण मुश्किलें सामने आ रही थीं। सरकार ने अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब इस तरह से शादी करने वाले प्रत्येक दंपति आर्थिक मदद पाने के हकदार होंगे। गौरतलब है कि यह सुविधा पहली बार शादी करने वालों के लिए ही उपलब्ध है। साथ ही आर्थिक मदद पाने की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। इसके अलावा मदद हासिल करने के लिए शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल में ही सभी राज्यों को आय सीमा में बदलाव की जानकारी दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बदले प्रावधानों के तहत मौद्रिक सहायता हासिल करने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। ऐसे कपल को आधार नंबर और आधार से जुड़ा ज्वाइंट बैंक अकाउंट मुहैया कराना होगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जहां आय की सीमा नहीं रखी गई है। ऐसे में केंद्र ने भी इसे खत्म करने का फैसला लिया है। वर्ष 2014-15 में पांच, 2015-16 में 72 और 2016-17 में 45 दंपति को इस योजना के तहत लाभ दिया गया। इस साल अब तक 74 दंपतियों के आवेदन को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

कार मालिकों को मोदी सरकार देगी बड़ा झटका

तैयार की जा रही है नई योजना

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। अगर आपके पास कार है तो मोदी सरकार जल्द ही आपको बड़ा झटका देने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत कार मालिकों से एलपीजी की सब्सिडी का हक छीना जा सकता है। इस योजना पर अभी शुरुआती दौर में काम शुरू किया गया है।

सरकार ने अबतक करीब 3.6 करोड़ फ्री रसोई गैस कनेक्शन काटे हैं, साथ ही सरकार ने जनता के बीच अभियान भी चला रखा है जिसके जरिए जनता को अपनी रसोई गैस सब्सिडी का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रयासों से सरकार को लगभग 30000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय रसोई गैस से और भी सब्सिडी बचाने की योजना बना रहा है जिसके तहत अब कार मालिकों को रसोई गैस सब्सिडी से वंचित किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के शुरुआती चरण में सरकार ने कुछएक जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से कारों के पंजिकरण के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया है। नवंबर अंत तक देशभर में कुल 25.11 करोड़ घरेलू रसोई गैस उपभोक्ता हैं जिनमें से 12.12 करोड़ इंडियन आयल की कंपनी इंडेन के ग्राहक हैं, 6.4 करोड़ भारत पेट्रोलियम और 6.59 करोड़ ग्राहक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं।

वकीलों की फीस-सीमा तय करने के पक्ष में है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि वकीलों की ऊंची फीस गरीबों के न्याय हासिल करने में बाधक बन रही है। इसके मद्देनजर शीर्ष अदालत ने वकीलों की फीस की अधिकतम सीमा तय करने को कानून बनाने की धारणा का स्वागत किया है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ वरिष्ठ वकीलों की फीस बहुत अधिक है। कॉरपोरेट सेक्टर तो ऐसे वकीलों से पैरवी करने में सक्षम है, लेकिन गरीब ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं। पीठ ने कहा कि वकीलों को संविधान के अनुच्छेद-39ए के तहत अपने कर्तव्य को सदैव याद रखना चाहिए। अनुच्छेद-39ए सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आयोग ने महसूस किया था कि संसद का दायित्व है कि वह कानूनी पेशे से जुड़े सदस्यों के लिए उनकी सेवाओं की फीस निर्धारित करे। पीठ ने कहा कि पहला कदम न्यूनतम और अधिकतम फीस तय करने को लेकर होना चाहिए। पीड़ित लोगों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्हें कम खर्च में न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। पीठ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वर्ष 1998 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में फीस निर्धारित करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कानून नहीं है। पीठ ने कहा कि सरकार की संबंधित अथॉरिटी को कानून में बदलाव लाकर पेशेवर नैतिकता के उल्लंघन पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी एक महिला की याचिका पर की। महिला ने दावा किया था कि एक वकील ने उसे 10 लाख रुपये के चेक पर जबरन हस्ताक्षर करने को बाध्य किया था, जबकि वह वकील की फीस पहले ही दे चुकी थी। वकील के इस कृत्य को सुप्रीम कोर्ट ने घोर कदाचार बताया है। वास्तव में सड़क दुर्घटना के एक मामले में महिला को मिले मुआवजे की राशि में से वकील 16 फीसदी हिस्सा मांग रहा था। चेक बाउंस होने के बाद वकील ने महिला के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करा दी। महिला इसे निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट में दलील पर चौतरफा घिरे सिब्बल

भाजपा के अलावा सुन्नी वक्फबोर्ड ने भी की निंदा

0-भाजपा के अलावा सुन्नी वक्फबोर्ड ने भी की निंदा

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की सुनवाई के दौरान अपने दलील पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल चौतरफा घिरते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के बाद अब सुन्नी वक्फबोर्ड ने भी कोर्ट में उनके बयान की निंदा की है। अब उस सुन्नी वक्फबोर्ड ने ही सिब्बल से किनारा कर लिया है, जिसका पक्ष रखते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत में यह दलील दी थी। सिब्बल ने सुप्रीमकोर्ट में मामले को अगले लोकसभा चुनाव तक टालने को कहा था।

सुन्नी वक्फबोर्ड जल्द से जल्द चाहता है समाधान

सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने सिब्बल के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि हां, कपिल सिब्बल हमारे वकील हैं, लेकिन वह एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उनका बयान गलत है। हम इस मसले का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। हाजी महबूब ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। सिब्बल ने किस अंदाज से

कह दिया कि 2019 के बाद सुनवाई हो? यह मैं गलत समझता हूं। 25 साल गुजर गए, मैं नहीं चाहता हूं कि 1992 की तस्वीर फिर दोहराई जाए। वह कांग्रेस के नेता भी हैं, हमें पता नहीं था कि वह ऐसी बात कहेंगे।

रविशंकर प्रसाद की टिप्पणी

एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मसले की सुनवाई को 2019 के आम चुनाव तक टाल देना चाहिए। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक वकील होने के नाते कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वह पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। इस बात से उनका क्या मतलब है कि वह इस मसले को 2019 तक टालना चाहते हैं। इसका बाहर क्या असर होगा? यह कई मायनों में गैरजिम्मेदाराना और गलत है।

पीएम मोदी का सवाल

उनके इस बयान पर हमला बोलते हुए गुजरात की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आखिर 2019 में चुनाव कांग्रेस लड़ेगी या फिर सुन्नी वक्फबोर्ड। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कपिल सिब्बल मुस्लिम समुदाय की तरफ से लड़ रहे हैं पर वह यह कैसे कह सकते हैं कि अगले चुनाव तक अयोध्या मामले का कोई हल नहीं होना चाहिए? इसका संबंध लोकसभा चुनाव से कैसे है?

वित्त मंत्री की बजट पूर्व इंडस्ट्री संगठनों से चर्चा

संगठनों ने रखी कई महत्वपूर्ण मांगे

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। बजट पूर्व बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली इंडस्ट्री संगठनों से चर्चा की। इंडस्ट्री ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18 फीसदी करने की मांग रखी है। यही नहीं सी.आई.आई. ने सरकारी बैंकों में हिस्सा घटाने का भी सुझाव दिया है। पीएसयू बैंकों में हिस्सा घटाकर 52 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इंडस्ट्री की ओर से पावर सेक्टर में तत्काल रिफॉर्म और पावर डिस्ट्रिब्यूशन में बदलाव पर जोर दिए जाने की कवालत की गई है। इंडस्ट्री की ओर से वित्त मंत्री को नेशनल पावर डिस्ट्रिब्यूशन बनाने का सुझाव दिया गया है। इंडस्ट्री ने जीएसटी में सिर्फ 3 दरें हों, इसकी मांग रखी है। इंडस्ट्री चाहती है कि जीएसटी में 5 फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी की दर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही खाली पड़ी सरकारी जमीन का इस्तेमाल किए जाने पर जोर देने की कवालत की है। बजट से पहले वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें विश्वास में लेते हैं।

उत्तर भारत में लगे भूकंप के झटके

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (ए)। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात करीब 8.50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के कई और शहरों में भी झटके महसूस किए गए हैं।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 थी और इसका केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 30 किमी गहराई में था। स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन ईएमएससी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर और हरिद्वार में तेज झटके महसूस हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में भी झटके महसूस किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में काफी देर तक झटके महसूस किए गए। दिल्ली में शाम के समय कार्यालयों में काम करने वाले लोग भूकंप से सहम गए। एनसीआर में कुछ जगहों पर कर्मचारी ऑफिस से बाहर भी आ गए। अभी ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है।

वीरता पुरस्कार विजेताओं को अब दोगुनी मिलेगी रकम

नई दिल्ली,06 दिसंबर (ए)। रक्षा मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए मॉनिटरी अलाउंस को दोगुना कर दिया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा।

4 दिसंबर को जारी पत्र के मुताबिक परमवीर चक्र विजेता को प्रति माह 20,000 रुपये मिलेंगे, जो अब तक 10,000 रुपये था। यह युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र पाने वाले को प्रति माह 12,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो 6,000 रुपये रहा है।

अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र के लिए भत्ता क्रमशः 10,000 रुपये और 9 हजार रुपये होगा। यह भी दोगुना हो गया है। वीर चक्र के लिए 7,000 रुपये, शौर्य चक्र पुरस्कार के लिए 6,000 रुपये और सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायु सेना मेडल के लिए 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।